

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 476]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 सितम्बर 2022—भाद्र 22, शक 1944

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2022

क्र. एफ 2(अ) 52-2021-बी-4-दो.—मध्यप्रदेश होमगार्ड अधिनियम, 1947 (क्रमांक 15 सन् 1947) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश होमगार्ड नियम, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उप नियमों में, नियम-27 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ग) स्वयंसेवी होमगार्ड प्रत्येक 03 वर्ष में 34 माह आहूत कर्तव्य (काल आउट ड्यूटी) पर रहेंगे जिला रिजर्व पर नामांकित प्रत्येक स्वयंसेवी के लिए आहूत किए जाने का समान अवसर सुनिश्चित किया जाएगा. इस प्रयोजन हेतु एक समुचित रोस्टर तैयार तथा प्रकाशित किया जाएगा और मांगे जाने पर स्वयंसेवियों को उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाएगी”.

2. उक्त अधिसूचना मंत्रि-परिषद् आदेश, आयटम क्रमांक-3, दिनांक 06 सितम्बर, 2022 में लिए गये निर्णय के पालन में जारी की जा रही है.

No. F-2(A) 52-2021-B-4-II.—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Madhya Pradesh Home Guards Act, 1947 (No. 15 of 1947), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Home Guards, 2016, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 27, in sub-rule (1), for clause (C), the following clause shall be substituted, namely :—

"(C) Volunteer Home Guards shall be on call out duty for 34 Months in every 03 years, Equal opportunity to be called out shall be ensured for each Volunteer enrolled on the District Reserve. A proper roster shall be prepared and published for this purpose and copy of the same shall be made available to the volunteers, on demand."

2. This notification is issued in compliance of order of Cabinet Item No. 3, dated 06th September, 2022.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह, सचिव.